Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-III September 2020

बाल श्रम की बढ़ती प्रवृति और उनसे पड़ने वाले प्रभाव का विधिक अध्ययन

जितेन्द्र सिंह महदौरिया*
रामशंकर**

सारांश

बच्चे मानव समाज व देश का महम्वपूर्ण हिस्सा होते हैं उनके बिना मानव समाज व देश की कल्पना करना सम्भव ही नही इसके बाबजूद भी बच्चे हर समाज एवं काल मे विभिन्न कठिनाईयों , असमानताओं में बच्चों का शोषण होता रहा है ये समस्यायें ऐसी हैं जो सम्पूर्ण विश्व में लगभग एक समान है। जैसे- बाल मजदूरी । यदि हम विश्व के इतिहास का अवलोकन करें तो पायेगें कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में बाल मजदूरी होती रही है, भारत में सर्वाधिक बाल मजदूरी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं इन राज्यों में बाल मजदूरी का आंकड़ा सर्वाधिक देखने को मिलता है। बाल मजदूरी की चिंता ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को बाल मजदूरी की स्थिति को मजबूती प्रदान करने एवं बाल मजदूरी को समाप्त के उद्देश्य से विभिन्न कानूनों एवं विधिक प्रावधानो के निर्माण के लिए अग्रसर किया है।
बीजक शब्द: बालक, मजदूरी , विधिक अध्ययन

प्रस्तावना

बालश्रम (बाल मजदूरी) बच्चों से लिया जाने बाला काम है,बालश्रम (बाल मजदूरी) का मतलब यह है कि जिसमें काम करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है बाल मजदूरी के अन्तर्गत ऐसे बच्चे आते हैं। जो अपने खेलने – कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में मजदूरी करतें हैं। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा बाल मजदूर हैं जो हमारे देश पर एक अभिषाप हैं।

बाल श्रम का प्रचलन प्राचीनकाल से चला आ रहा है, किन्तु पूर्व में यह समस्या के रूप मे नही थी। उन दिनों परिवार के बालक अपने गृह कार्य में अपने बड़ो का हाथ बँटातें थे किसान के बालक पशुचारण करते थे। लुहार का बालक धोंकनी चलाता था तथा लड़कियाँ गृह कार्य में अपनी माँ का हाथ बँटाती थीं। यदा – कदा ही कोई बालक रईसों अथवा जागीरदारों के यहाँ वेतनभोगी होकर कार्य करता था ।

बाल श्रम एक जटिल समस्या बन गई है, इस समस्या के मूल में निर्धनता, अज्ञानता तथा अशिक्षा है। कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का ह्रास अथवा स्वरूप बदलने से ग्रामीण श्रमिकों का नगरों की ओर पलायन व पारिवारिक बिघटन भी बाल श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि का कारण है। द चाइल्ड एण्ड द स्टेट ऑफ इण्डिया की

* बीएस.सी,एम.ए.,एलएल.एम.,पीजीडीसीए,एम.पी.सेट

** सहायक प्राध्यापक (विधि) विधि अध्ययनशाला,जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म० प्र०)

सर्वेक्षण रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग से 50% बच्चे स्कूल के द्वार तक ही नही पहुँच पाते हैं।

बाल श्रम (बाल मजदूरी) के कारण

वर्तमान में बाल मजदूरी ने एक विश्व – व्यापी समस्या का रूप धारण कर लिया है ,बाल मजदूरी के निवारण के बाबजूद बाल मजदूरी दिन – प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फलत: हाल ही के कुछ वर्षो में बाल मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि हुई है,बाल मजदूरी के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:-

1. **गरीबी (निर्धनता)-** बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी है, गरीबी के कारण माता – पिता अपने बच्चों को पढ़ा नही पाते हैं तथा उनके बच्चे उनके साथ काम में हाथ बटातें हैं,गरीबी के कारण ये अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बाल मजदूरी पर भेज देते हैं। गरीबी के कारण तथा अशिक्षा के कारण इन लोगों को विभिन्न जानकारियों और योजनाओं के बारे में जानकारी नही होती है जिससे इनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। लेकिन आज के माता – पिता शिक्षा के क्षेत्र मे जागृत हो गये हैं, और अपने बच्चो को शिक्षा मुहैया करा रहे हैं-

   जैसे- बसें बंद हैं, इसलिए बेटे को परीक्षा दिलाने 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर धार पहुंचा पिता, 8 घंटे में सफर पूरा किया कक्षा 10वी और 12वी में जो बच्चे पास नहीं हो सके , उन्हे शिक्षा विभाग ने रूक जाना नही अभियान के तहत एक और मौका दिया है। मंगलवार को गणित का पेपर था मनावर तहसील के बयड़ीपुरा के शोभाराम के बेटे आशीष को 10वी में तीन विषय की परीक्षा देना है। परीक्षा केन्द्र धार में है, जो गाँव से 105 किलामीटर दूर है। बसें बंद हैं लिहाजा शोभाराम सोमवार रात 12 बजे साइकिल से बेटे को लेकर निकल पड़े। धार में ठहरने की व्यवस्था न होने से तीन दिन की खाद्य सामग्री भी पोटली में बांध ली , वे रात में 4 बजें मांडू और मंगलवार सुबह पेपर शुरू होने से मात्र 15 मिनिट पहले 7:45 बजे धार पहुंच पाए अब बुधवार को सामाजिक विज्ञान और गुरूवार को अंग्रेजी का पेपर है।

मैं मजदूर हूँ, इसलिए बेटे को परीक्षा दिलाने 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर धार पहुंचा पिता,8 घंटे में सफर पूरा किया,मैं मजदूर हूँ लेकिन बेटे को ये दिन नहीं देखने दूँगा, इसलिए पैसे उधार लेकर चल पड़ा।

मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन बेटे को अफसर बनाने का सपना देखा है और इसे हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ । ताकि बेटा और उसका परिवार अच्छा जीवन जी सके। बेटा पढ़ाई में दिल – दिमांग लगाता है और होनहार है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कोरोना के कारण गांव में बच्चे की पढ़ाई नही हो पाई जब परीक्षा थी , तब ट्यूशन नही लगवा पाया, क्योंकि गाँव में शिक्षक नही है। इसलिए बेटा तीन विषय में रूक गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए कुछ नही कर पाया। रूक जाना नहीं योजना रूके हुए बच्चों को ही आगे बढ़ाने वाला कदम है और बेटा इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए परीक्षा देने की जिद पकड़ गया। धार 105 किलोमीटर दूर है और जाने का कोई साधन भी नहीं है, यह सोचकर कई

बार बेटे की जिद भुलाने का मन किया, लेकिन अन्तत:हिम्मत नहीं जुटा पाया और चल दिया दूर सफर पर बेटे के साथ तब रात के करीब12 बज रहे थे। रास्ते में कोई दिक्कत न हो, इसलिए लोगों से 500 रूपये उधार लिए साथ ही तीन दिन का राशन भी ले लिया, ताकि धार में रूकना पड़े तो कम से कम हम बाप – बेटा पेट तो भर सकें। यहां तक पहुंचने के लिए रास्तें में 5 घाट भी पड़े थके तो लगा थोड़ा आराम कर लें , लेकिन धार पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए इस डर से आराम भुला दिया , सुबह 4 बजे मांडू पहुंचा। यहां कुछ देर रुकने के बाद धार के लिए रवाना हुआ, सुबह करीब 7:45 बजे हम धार पहुंचे जहां बेटे को परीक्षा देनी थी वहां हम परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही पहुंचे बेटे के स्कूल में प्रवेश करते हुए सारी थकान दूर हो गई।[1]

पिता को जमीन बेचनी पड़ी, मजदूरी की, बेटा आईआईटी से बना इंजीनियर

सफलता की परिभाषा सबके लिए एक नहीं होती है, हो भी नही सकती , अलग- अलग लोगों के लिए सफलता के अलग –अलग मायने होते हैं। किसी के लिए आईएएस ऑफिसर बनना सफलता है तो किसी के लिए खूब पैसा या शोहरत कमाना सफलता है, लेकिन कभी ऐसे भी दिन हुआ करते थे जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रहने वाले राम भजन दो वक्त की रीटी की जुगाड़ को ही बड़ी सफलता और उपलब्धि समझते थे। उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उनके मात – पिता पढ़ाई की बात तो सोच भी नही सकते थे मेहनत मजदूरी करने के बाद जिस दिन घर में एक वक्त भी चूल्हा अच्छी तरह जल जाता तब पांच बच्चों समेत पूरा परिवार खुश हो जाता था। बड़ा लड़का पढ़ना चाहता था सरकारी स्कूल में जाना शुरू भी किया, लेकिन आर्थिक संकट के चलते बेटे की पढ़ाई छूट गई। पेट भरने के लिए अब बड़ा बेटा भी पिता के साथ मजदूरी करने जाने लगा कुछ साल और बीत गए, अब छोटे बेटे संजीत की बारी आई वह भी पढ़ना चाहता था उसने भी सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई में खूब मन लगाता था संजीत उसके लगन और परिश्रम को देखकर बड़े भाई और पिता ने निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए संजीत को काम पर नहीं ले जाएंगे। कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े संजीत को पढ़ाएंगे जरूर।

छोटी सी झोंपड़ी में एक दिये की रोशनी में देर रात तक संजीत पढ़ता रहता था, संजीत अब 10वीं में पहुंच चुका था अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा थी बड़ी मुस्किल से संजीत के पिता को कर्ज मिला और तब कहीं जाकर बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ। संजीत 10वी बहुत ही अच्छे अंको से पास कर गया था राम भजन बहूत खुश थे उस दिन उन्होनें गाँव में मिठाई भी बांटी थी कोई पहली बार उनके परिवार में 10वी पास किया था।

लेकिन अब आगे की पढ़ाई गांव से सम्भव नही थी संजीत इंजीनियर बनना चाहता था, कुल सम्पत्ति के नाम पर जो छोटी सी जमीन थी उन्होंने उसे भी बेच दिया और संजीत को उसी पैसे से पढ़ाई करने के लिए पटना भेज दिया, पैसे इतने कम थे कि उतने में किसी कोचिंग में एडमीशन भी संभव नहीं था संजीत एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। खुद खाना बनाता और फिर बचे हुये समय में पढ़ाई करता, कुछ ही

[1]समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 19/08/2020, बुधवार, पेज नं. 1

दिनो में सभी पैसे खत्म हो गये। पिता ने कहा कि बेटा जो हो जाए मैं तुम्हें गांव वापस नहीं आने दूंगा, राम भजन अब पटना आ गये थे और बेटे के साथ ही रहने लगे दिनभर पटना में ही जहां भी काम मिल जाता, मजदूरी करते थे और उसी पैसे से पिता- पुत्र का गुजारा होता था । उधर गांव में संजीत का बड़ा भाई मजदूरी करके परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था, पटना में एक जगह भवन निर्माण का काम चल रहा था वहीं राम भजन को काम मिल गया, एक दिन जब चंद पैसे के लिए देर रात तक काम कर रहे थे तब ठेकेदार ने सुपर 30 के बारे मे बताया।फिर क्या संतीत मेरा शिष्य बन गया, बहुत जल्दी ही सुपर 30 के सभी बच्चों से घुलमिल गया आईआईटी का रिजल्ट आने वाला था, मुझे आज भी याद है कि आईआईटी के रिजल्ट के दिन संजीत अपने पिता के साथ मेरे घर आया था। इतनी उत्सुकता थी कि राम भजन उस दिन काम पर नहीं गए थे, जैसे ही पता चला कि आईआईटी में संजीत का सिलेक्शन हो गया है पिता –पुत्र गले लगकर खूब रोने लगे यह सग देखकर मैं भावुक हो गया था अब समय बदल गया है और संजीत की पढ़ाई भी आईआईटी से पूरी हो गई है, अब अच्छी नौकरी कर रहा है।[2]

2. **अशिक्षा (शिक्षा का अभाव)-** अशिक्षा भी बालश्रम का मुख्य कारण है,क्योंकि अशिक्षित माता –पिता बाल मजदूरी से उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के वारे में नही जानते हैं तथा उनसे बाल मजदूरी करवातें हैं,ये माता पिता अपने बच्चों को चाय की दुकान ,मैकेनिक की दुकान या परच्यून की दुकान पर भेजकर बाल मजदूरी करवातें हैं।

बाल मजदूरी रोकने का उपाय है शिक्षा का प्रसार, प्रचार क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नही समझता है, शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी तथा लोग बाल मजदूरी के प्रति जागरूक होगे। अशिक्षित माता – पिता अपने बच्चों को खतरनाक उद्योगों में लगा देते हैं, जैसे – आतिशबाजी बनाने का उद्योग,मिर्जापुर में कालीन बुनने का उद्योग, काँच की चूडियाँ बनाने का उद्योग, बीड़ी बनाने का उद्योग में बाल मजदूरी करने के लिए भेज देतें हैं।

3. **जनसंख्या वृद्धि-** जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी और अशिक्षा बढ़ रही है , जो कि बाल मजदूरी का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी भी बढ़ रही है जिससे बाल मजदूरी की रोक थाम में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
4. **नशे की आदत-** नशे की आदत तथा लापरवाही की वजह से कुछ माता – पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय परिवार की आमदनी बढ़ाने के लालच में बाल मजदूरी करने भेज देते हैं।
5. **कानूनों का सही ढंग से पालन न हो पाना-** बाल मजदूरी को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का सही ढ़ंग से पालन नही होने से भी बाल मजदूरी बड़ रही है बाल मजदूरी से सम्बिन्धित कानूनों का कड़ाई से पालन करवाकर इस पर लगाम लगाई जा सकती है।
6. **सस्ते श्रम-** सस्ते श्रम के लालच में कुछ दुकानदार , फैक्ट्री मालिक आदि बच्चों से काम करवाते हैं , ताकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़े , इस तरह यह भी बाल मजदूरी का प्रमुख कारण है।

---

[2]समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 20/08/2020 गुरूवार पेज नं. 2

7. **सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन-** सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी बाल मजदूरी का मुख्य कारण है,सामाजिक रूप से पिछड़े माता – पिता अपने बच्चों को पढ़ाने नही भेजते हैं तथा बाल मजदूरी के दलदल में फंसा देते हैं।
8. **परिवार में बीमारी या अपंगता-** कई परिवार में बीमारी , अपंगता या नशें के कारण कोई कमाने वाला नही होता है, वहाॅ परिवार के भरण- पोषण का एकमात्र आधार ही बाल मजदूरी ही होती है, जो बाल मजदूरी का मुख्य कारण है।
9. **औ़द्योगीकरण-** भारत में औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप गांवो और कस्बों का द्रुतगति से शहरीकरण होता जा रहा है, जिसके कारण पारिवारिक विघटन, आवास , झुग्गी –झोंपड़ी , भीड़-भडक्का आदि की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, शहरों का जीवन अपेक्षाक्रत महँगा और खर्चीला होने के कारण परिवार की आर्थिक सहायता हेतु बालकों को स्कूल भेजने की बजाय घर से बाहर निकालकर नौकरी या काम पर भेज दिया जाता है। ये बालक किसी चाय की दुकान पर , परच्यून की दुकान पर , मैकेनिक की दुकान पर और बालिकाये किसी अन्य के घर पर झाडू – पोंछा का काम करने लगती हैं जिस कारण ये बालक, बालिकायें अशिक्षित रह जातें है।
10. **पारिवारिक विघटन-** औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हुआ है, तथा उद्योग, नौकरी या धन्धो के निमित्त परिवार के सदस्य इधर – उधर बिखर गए हैं बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिस कारण उनके माता – पिता का खर्च चल पाना असम्भव हो जाता है इसलिए ये मात – पिता अपने बच्चों को बाल मजदूरी पर भेज देतें हैं और ये बच्चे अपने माता – पिता का काम में हाथ बटातें है।
11. **वैवाहिक सम्बन्धों में शिथिलता-** वर्तमान समय में तलाक और वैवाहिक झगड़ों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण पारिवारिक समेकता छिन्न – भिन्न सी हो गई है। महिलाओं में पुरूषों के साथ समानता की भावना प्रबल हो जाने के कारण परिवार पर से कर्ता पुरूष का नियंत्रण समाप्त प्राय होता जा रहा है। कभी –कभी पति –पत्नी में आपसी कलह , दुर्व्यवहार मार – पीट , गाली गलौज आदि को देखकर बालक असमंजस में पड़ जातें हैं और यह नही समझ पाते कि उनके माता – पिता में से वे किसका साथ दें । इस कारण ये बच्चें अशिक्षित रह जातें हैं और बाल मजदूरी करने लगतें हैं।
12. **फैशन-** आज कल बालकों में फैशन के पीछे भागने की होड़ सी लग गई है, वे अपनी मूल भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भूलते जा रहें है। आज के बच्चो का खाने पीने बैठने – उठने पहनने – ओढ़ने तथा बनने सवरने आदि का ढ़ंग इतना अधिक बढ़ चुका है कि सांस्कृतिक टकराब की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके चलते बच्चे बाल मजदूरी करने लगतें है और अपने फैशन व शौक पूरा करतें हैं।

13.**दीनहीन, निराश्रय, अभ्यिक्त बच्चें-** लावारिस तथा माता – पिता द्वारा अपेक्षित और त्यागे गये बच्चे प्राय गन्दी बस्तियों में रहने लगतें हैं इन झुग्गी – झोंपिडयों में रहने वाले बालक – बालिकाओं को धन की आवश्यकता होती है जिसके चलते ये बालक – बालिकायें बाल मजदूरी करने लगतें हैं।

बाल मजदूरी के दुष्परिणाम

बाल मजदूरी के निम्नलिखित दुष्परिणाम हैं, जो निम्नानुसार हैं-

1. **बच्चों के विकास में घातक-** बाल मजदूरी का सबसे ज्यादा असर बच्चों के विकास पर होता है, बाल मजदूरी से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है जिस उम्र में बच्चों को खेल- कूदकर , शिक्षा लेकर अपना विकास करना चाहिए उस उम्र में उन्हें बाल मजदूरी करनी पड़ती है।

2. **बाल मजदूरों का शोषण-** बाल मजदूरों का उनके मालिक द्वारा ज्यादा शोषण किया जाता है, बाल मजदूर कम मजदूरी लेकर ज्यादा काम करने के लिए राजी हो जातें है एवं उनसे मनचाह काम करा लिया जाता है।

3. **शिक्षा का अभाव-** गरीबी के कारण बच्चें बाल मजदूरी करने पर मजबूर हो जातें हैं और उनके जीवन में शिक्षा का अभाव बना रहता है।

4. **जीवन का खतरा-** कारखाने , कोयले की खदानें, पटाखों की फैक्ट्री आदि मे कार्य करने से बाल मजदूरों की जान को ज्यादा खतरा रहता है, सरकार ने इसके लिए भी कानून बनाया है, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों एवं खदानों में काम करवाना अपराध है।

बाल मजदूरी रोकने के उपाय

बाल मजदूरी रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं-

1. बाल मजदूरी रोकने के लिए सबसे पहले गरीबी को कम करना पड़ेगा, क्योकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नही समझता है, इसलिए बाल मजदूरी रोकने के लिए पहले गरीबी को मिटाना होगा, जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नही भेजेगा।

2. बाल मजदूरी रोकने का दूसरा उपाय है, शिक्षा का प्रसार, प्रचार, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता है, शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी तथा लोग बाल मजदूरी के प्रति जागरूक होगें।

3. बाल मजदूरी को रोकने का तीसरा उपाय बेरोजगारी को खत्म करना या इस पर लगाम लगाना है, क्योंकि बेरोजगारी के चलते ही लोग अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पातें हैं जिस कारण वह अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवातें हैं बेरोजगारी खत्म हो गई तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने भेजेगें तथा उनका बचपन सुखमय होगा ।

4. बाल मजदूरी रोकने का चौथा उपाय है, कड़ा कानून जिससे सस्ती मजदूरी के चक्कर में बच्चों से काम करवाने वाले दुकानदारों, मिल मालिकों को कड़ी सजा मिल सके, जिससे वह बाल मजदूरों को अपने यहाँ काम नहीं करवा सकें।

5. बाल मजदूर रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना ताकि लोग समझ सकें कि बाल मजदूरी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है उन्हें बताना होगा कि बाल मजदूरी के द्वारा भारत का भविष्य जो इन बच्चों में है, वह मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा है ।

6. इसके अलावा आम आदमी को यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वो ऐसे दुकानो से सामान या अन्य वस्तु नही खरीदेगा जहाँ पर कोई बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है, तथा इसे देखते ही पुलिस में या आम जनता मिलकर बाल मजदूरी को रोकथाम में सहायता कर सकतें हैं।

बाल मजदूरी से सम्बन्धित आंकड़े

बाल मजदूरी से सम्बन्धित आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

बाल मजदूरी के सबसे बड़े गढ़ हैं, ये दो राज्य खतरे में मासूमो का भविष्य बाल श्रम निषेध दिवस की शुरूआत वर्ष 2002 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी से निकालकर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से "द इन्टरनेशनल लेवर ऑर्गेनाइजेशन " ने की थी। हालांकि 17 वर्ष गुजरने के बाद भी भारत में बाल मजदूरी पर लगाम कस पाना मुश्किल लग रहा है।

भारत में बाल श्रम को लेकर स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं लेकिन वर्ष 2011की जनगणना के अनुसार भारत में 5 – 14 आयु वर्ग के एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी की दलदल में धकेले गये हैं , अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 15.2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के लिए मजबूर हैं।

भारत में मजदूरी करने वाले बच्चों में एक बड़ी तादाद ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखती है आंकड़ों की माने तो लगभग 80% बाल मजदूरी की जड़े ग्रामीण इलाकों में फैली हैं देश में 2011 के आधार पर सेक्टर आधारित बाल मजदूरी पर नजर डाली जाये तो बच्चों की सबसे बड़ी आबादी यानी 32.9 फीसदी (33 लाख) खेती से जुड़े कामों में लगी है, जबकि 26 फीसदी (26.30 लाख) बच्चे खेतिहर मजदूर हैं।

उत्तर प्रदेश – बिहार में सबसे ज्यादा बाल मजदूर :- भारत में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या 5 राज्यों , बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं यहाँ बाल मजदूरों की संख्या लगभग 55% हैं, सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं उत्तर प्रदेश में 21.5 फीसदी यानी 21.80 लाख और बिहार में 10.7 फीसदी यानी 10.9 लाख बाल मजदूर हैं , राजस्थान में 8.5 लाख बाल मजदूर हैं।

विश्व में सबसे ज्यादा बाल मजदूर कहाँ हैं- पूरी दुनिया में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका में है, अफ्रीका में 7.21 करोड़ बच्चें बाल मजदूरी की कैद में हैं, जबकि एशिया- पैसिफिक में 6.21 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बिकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ के पार है।

बाल मजदूरी पर जनगणना के आंकड़े

Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-III September 2020

1971,1981,1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार 5 – 14 वर्ष के आयु वर्ग के काम करने वाले बच्चों का राज्यबार बिभाजन।[3]

क्रमांक	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के नाम	1971	1981	1991	2001
1	आन्ध्र प्रदेश	1627492	1951312	1661940	1363339
2	असम	239349		327598	351416
3	बिहार	1059359	1101764	942245	1117500
4	गुजरात	518061	616913	923585	485530
5	हरियाणा	137826	194189	109691	253491
6	हिमाचल प्रदेश	71384	99624	56438	107774
7	जम्बू और कश्मीर	70489	258437		175630
8	कर्नाटक	808719	1131530	976247	822615
9	केरल	111801	92854	34800	26156
10	मध्य प्रदेश	1112319	1698597	1352563	1065259
11	महाराष्ट्र	188357	1557765	1068427	764075
12	छत्तीसगढ़				364572
13	मणिपुर	16380	20217	16493	28836
14	मेघालय	30440	44916	34633	53940
15	झारखण्ड				407200
16	उत्तरांचल				70183
17	नागालैण्ड	13726	16235	16467	45874
18	उड़ीसा	492477	702293	452394	377594
19	पंजाब	232774	216939	142868	177268
20	राजस्थान	587389	819604	774199	1262570
21	सिक्किम	15661	8561	5598	16457
22	तमिलनाडु	713305	975055	578889	418801
23	त्रिपुरा	17490	24204	16478	21756

[3] इन्टरनेट

24	उत्तर प्रदेश	1326726	1434675	1410086	1927997
25	पश्चिम बंगाल	511443	605263	711691	857087
26	अण्डमान और निकोबार द्वी	572	1309	1265	1960
27	अरूणाचल प्रदेश	17925	17950	12394	18482
28	चण्डीगढ़	1086	1986	1870	3779
29	दादर और नगर हवेली	3102	3615	4416	4274
30	दमन और द्वीप	7391	9378	941	729
31	गोवा			4656	4138
32	लक्ष्यद्वीप	97	56	34	27
33	मिजोरम		6314	16411	26265
34	पाण्चिेरी	3725	3606	2680	1904
35	दिल्ली	17120	25717	27359	41899
	कुल	10753985	13640870	11285349	12666377

नोट:- असम की 1971 की जनगणना के आंकड़ों में मिजोरम के आंकड़े भी शामिल हैं।[4]

संवैधानिक प्रावधान

संविधान में बालकों के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

[4] इन्टरनेट

- **शिक्षा का अधिकार-** राज्य, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में , जो राज्य विधि द्वारा , अवधारित करे, उपबंध करेगा। अर्थात राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा।[5]
- **कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध-** 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अर्थात् 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों या जोखिम भरे काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा।[6]
- **सरकार द्वारा विशिष्टतया अपनी नीति को मजदूरों के स्वास्थ्य और बल संरक्षण-** पुरूष एवं महिलाएँ तथा कम उम्र के बच्चों का शोषण न होने देने और आर्थिक जरूरतों के कारण नागरिकों को अपनी उम्र और ताकत के लिए अनुपयुक्त उद्यम में प्रवेश न करने के प्रति निर्देशित करना होगा। पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और पुरूषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना , बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य का काम है।[7]
- **छ: वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा का उपबंध करना-** राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।[8]
- माता – पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने , बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।[9]

विधायिका द्वारा बाल मजदूरी से संबंधित पारित किए गए कानून

विधायिका द्वारा निम्नलिखित कानून पारित किए गए है-

1. **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986-** इस अधिनियम के अनुसार बच्चे का मतलब है, एसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 14 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। अधिनियम की धारा – 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी बच्चे को नियोजित करने वाला कोई भी व्यक्ति काररावास सहित दण्ड का भागी होगा , जिसकी अवधि 3 महीने से कम नही होगी , पर जो 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जो 10,000 रूपये से कम नही होगा लेकिन जिसे 20,000 रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या कारावास तथा जुर्माना दोनो सजा पा सकता है।[10]
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

---

[5] अनुच्छेद 21क
[6] अनुच्छेद 24
[7] अनुच्छेद 39
[8] अनुच्छेद 45
[9] अनुच्छेद 51क(ट)
[10] धारा -14

3. खान अधिनियम, 1952

न्यायपालिका द्वारा बाल श्रम के संबन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- एम० सी० मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य[11] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रमिकों से संबंधित निम्नलिखित दिशा – निर्देश जारी किये है- उच्चतम न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का हवाला देते हुए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि बालक श्रम को तत्काल समाप्त कर उनके पुनर्वास एवं कल्याण की व्यवस्था करें। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि 14 वर्ष की आयु के बालक को किसी भी कारखाने या खान और अन्य संकटपूर्ण कार्य में नियुक्त नहीं किया जावेगा और उन्हें अनुच्छेद 45 के आदेशों के अनुसार शिक्षा पाने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावेगा। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को काम दिया जायेगा, नियोजक प्रत्येक बालक को 20,000 /- रूपये देगा जो बालक श्रम पुनर्वास एवं कल्याण खाते में जमा करेगी। यदि सरकार वयस्क को काम नहीं दे सकती है तो वह 5000/- रूपये इस खाते में जमा करेगी , ऐसा होने पर बालक को संकटपूर्ण काम से हटा लिया जायेगा और उसे इस रकम के ब्याज से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा दिलाई जायेगी। खतरेरहित कार्यो में यदि बालकों को काम में लगाया जायेगा तो उसकी कार्य अवधि 4 या 6 घण्टे से अधिक नही होगी , तथा उसे 2 घण्टे पढ़ने के लिए दिए जाएंगे जिसका व्यय नियोक्ता वहन करेगा।

उपर्युक्त निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु न्यायालय ने सम्बिन्धित सरकारों को निम्नलिखित आदेश दिये हैं-

(1) छः माह के भीतर बालक श्रम के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण कर लिया जायेगा।

(2) केन्द्र सरकार की घोषित बालक श्रम नीति के अनुसार न्यायालय ने निम्नलिखित कारखानों को निर्दिष्ट किया जहाँ इन्हें पहले लागू किया जाना चाहिए।

(3) एक बालक श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना किया जाए, जिसमें नियोजक हर बालक के लिए 20,000/- रूपये प्रतिकर के रूप में जमा करे जिसे उसके पुनर्वास के लिए प्रयुक्त किया जाए।

(4) नियोजक का दायित्व बालकों को कार्यमुक्त करने के पश्चात् समाप्त नही होगा। सरकार द्वारा उस बालक के परिवार के एक वयस्क को उस कारखाने या अन्यत्र उसके बदले में नौकरी दिया जाए।

(5) उन मामलों में जहाँ ऐसा वैकल्पिक काम देना सम्भव नही है वहाँ समुचित सरकार अपने अंशदान के रूप में बाल कल्याण कोष में हर बालक के खाते में जहाँ वह कार्यरत है, 5000:/- रूपये जमा करे।

(6) वयस्क काम पाने पर बालक को काम से हटा लेगा , यदि वयस्क को काम नही मिलता है तो भी संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह बालक को शिक्षा के लिए भेजे और 25,000/- रूपये की रकम पर मिलने वाले ब्याज से बालक की शिक्षा का खर्च 14 वर्ष की आयु तक चलाये।

---

[11] (1996) 5 एस० सी० सी० 1756

Legal Express: An International Journal of Law ISSN 2394-465X
Vol.VI, Issue-III September 2020

(7) उक्त रकम जिले में रखी जायेगी और जिलाधीश इसके लिए नियुक्त इन्पेक्टरों के कार्य पर निगरानी रखेगा। इसके लिए समुचित सरकार श्रम मंत्रालय में एक पृथक सेल की स्थापना करेगी।

(8) न्यायालय ने श्रम मंत्रालय के सचिव को आदेश दिया कि वे एक माह के अन्दर उपर्युक्त निर्देशों के पालन के सम्बन्ध में शपथ पत्र फाइल करें।

(9) जहाँ तक खतरे से रहित कारखानों का प्रश्न है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित सरकारें यह देखें कि बालकों के कार्य की अवधि 4 से 6 घण्टे से अधिक न हो और वे प्रत्येक दिन 2 घण्टे शिक्षा प्राप्त करें । उनकी शिक्षा का पूरा व्यय नियोजक वहन करेगा।

- ❖ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य[12] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है।
- ❖ यूनी कृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य[13] के मामले में कॉलेजों के प्रबन्धकों ने मोहिनी जैन के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन दिया। उसका अभिकथन था कि यदि मोहिनी जैन के निर्णय को लागू किया जात है तो उन्हें मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेज को बन्द करना पड़ेगा। न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने 3 -2 के बहुमत से मोहिनी जैन मे दिए इस मत की पुष्टि की कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार है और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है किन्तु उस पर एक परिसीमा लगा दिया कि यह अधिकार 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही सीमित है। उच्च शिक्षा के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकत है, कि बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी और अशिक्षा है, गरीबी के कारण गरीब व्यक्ति अपना पेट भर पाना बहुत मुश्किल होता है इसके चलते ये मात – पिता अपने बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए भेज देतें हैं। बाल मजदूरी से इन बच्चों का शारीरिक और मानशिक विकास रूक जाता है। बाल मजदूरी का दूसरा कारण अशिक्षा भी है, अशिक्षित माता – पिता होने से ये पढ़ाई का मतलब नही समझ पाते हैं और अपने बच्चों को स्कूल के द्वार तक ही नही जाने देते हैं जिससे इनके बच्चे भी अशिक्षित रह जातें हैं और बाल मजदूरी करने लगते हैं। यदि इन बच्चों को शिक्षा दी जाये तो इन बच्चों में से ही कोई बच्चा डॉक्टर, इन्जीनियर ,वकील,बैज्ञानिक,अभिनेता और राजनेता बन सकते हैं और अपने घर को रोशन कर सकते हैं ऐसे माता – पिता जो गरीब होते हुए भी अपने बच्चों कों शिक्षा दिला पाते हैं तो उनमें से कई बच्चें ऐसे निकलते हैं जिनके मता – पिता गरीब किसान होते हैं , लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई और वह कोई आईएएस, आईपीएस या आईआईटी इन्जीनियर बना और अपने घर को एक नई रोशनी दी जिससे अब उनके पिता मजदूरी नहीं करते हैं,बल्कि अपनी स्वयं की खेती करते हैं।

---

[12] (1992) 3 एस० सी० सी० 666

[13] (1993) 4 एस० सी० सी० 645

बई विधवा मातायें जिन्होने दूसरों के घर में नौकरी की, झाड़ूपौछा किया स्वयं झुग्गी झोंपड़ी में रही लेकिन उन्होने अपने बच्चों को पढ़ाया और वह आईएएस,आईपीएस बन कर निकला और अपनी विधवा माँ का सपना पूरा किया। ऐसा ही पिता जो स्वयं रिक्सा चलाता था उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और वह आईएएस बनकर निकला और अपने पिता का सपना पूरा किया ऐसे कई उदाहरण आज देखने को मिल जाते हैं जो गरीब होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। यह कहना सही है कि शिक्षा वो हथियार है जो गरीबी को मिटा सकता है जिसने भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई है उसके घर में रोशनी आई है, इसलिए बाल मजदूरी को रोकने के लिए हर माता –पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देकर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना अति आवश्यक है।